



स्वच्छ हरिद्वार, सुन्दर हरिद्वार

33026

फार्म का क्रमांक.....

नगर निगम, हरिद्वार

मूल्य 10/- रुपये

प्रपत्र-‘क’ एवं ‘ख’

आवासीय भवनों के सम्बन्ध में सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

Office Use Only

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

पता/मौहल्ला.....

.....

खाता संख्या.....

मोबाईल नं०.....

नगर निगम हरिद्वार

मूल्य 10/- रुपये

प्रपत्र-‘क’

सम्पत्ति कर स्व निर्धारण प्रपत्र

(नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 207-क)

(क)

- (एक) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (दो) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम.....
- (तीन) भवन / मकान / भूखण्ड सं०.....
- (चार) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- (पाँच) स्वामी / अध्यासी का अस्थाई पता.....
- (छः) स्वामी / अध्यासी का स्थाई पता.....
- (सात) भवन स्वामी का ई-मेल पता.....

टिप्पणी— जिनका भवन नगर निगम में दर्ज नहीं है, ‘नया मकान’ दर्ज करें तथा सम्बन्धित अभिलेख व चौहद्दी का विवरण संलग्न करें—

(ख) निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा

- (एक) समस्त कमरों एवं आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....
- (दो) समस्त बालकनी, कोरिडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....
- (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....

टिप्पणी— स्नान गृह शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कार्पेट एरिया का भाग नहीं होगा।

(ग) भवन का कार्पेट एरिया—(ख) का विवरण क्षेत्रफल आंकलन हेतु—

- (एक) कमरों की पूर्ण माप.....
- (दो) समस्त कोरिडोर, रसोई, भण्डार, गृह का $1/2$
- (तीन) गैराज के आन्तरिक आयाम का $1/4$
- (एक)+(दो) का $1/2$ +(तीन) का $1/4$

- (घ)
- (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्गफुट में).....
- (दो) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित ना हो (वर्गफुट में).....
- (ङ) (क) भवन अवस्थित है-
- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति-
- (एक) पक्का भवन, आर०सी०सी० छत या आर०बी० छत सहित ☐
- (दो) अन्य पक्का भवन ☐
- (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है ☐
- (ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है-
- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- टिप्पणी- कृपया उपर्युक्त (एक) (दो) या (तीन) के कॉलम में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।
- (च) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें-
-
- टिप्पणी- यदि भवन एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे 'खाली' उल्लिखित किया जायेगा.....
- (छ) भवन के निर्माण का वर्ष.....
- (ज) (एक) कलैक्टर / मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रु०/प्रतिवर्ग फुट

(दो) कलैक्टर / मुख्य नगर अधिकारी द्वारा भूमि के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर यदि उस पर कोई भवन निर्मित ना हो रु०/- प्रतिवर्गफुट

(झ) (एक) भवन का वार्षिक मूल्य = $12 \times \text{कलैक्टर / मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर} \times \text{भवन का कार्पेट क्षेत्र} = \{12 \times (\text{ज}) (\text{एक}) \times (\text{ग})\}$

अथवा

$12 \times \text{मुख्य नगर अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये का न्यूनतम मासिक दर} \times \text{आच्छादित क्षेत्र} \times 80 \text{ प्रतिशत।}$

(दो) भूमि का वार्षिक मूल्य यदि उस पर कोई भवन निर्मित ना हो = $12 \times \text{मुख्य नगर अधिकारी / कलैक्टर द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर} \times \text{भूमि का क्षेत्रफल} = \{12 \times (\text{ज}) (\text{दो}) \times (\text{घ}) (\text{दो})\}$

(ज) (एक) स्वामी द्वारा अध्यासित होने की दशा में भवन का मूल्य धारा 174(2) (क) में यथा उल्लिखित छूट देन के पश्चात।

(दो) किराये पर होने की दशा में भवन का वार्षिक मूल्य धारा 174(2) (ख) में यथा उल्लिखित वृद्धि करने के पश्चात।

(ट) (एक) भवन का सामान्य कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य $\times$ सामान्य कर दर / 100

(दो) भवन का जल कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य $\times$ जल कर दर / 100

(तीन) भवन का जल निस्तारण = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य $\times$ जल निस्तारण दर / 100

(चार) भवन का स्वच्छता कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य $\times$ स्वच्छता कर दर / 100

(ठ) (एक) भूमि पर सामान्य कर यदि उस पर कोई भवन निर्मित ना हो = $\{ \text{झ} (\text{दो}) \}$ में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य $\times$ सामान्य कर दर / 100

(ड) मुख्य नगर अधिकारी द्वारा कर जमा करने के लिए निर्धारित नियत दिनांक

(ढ) जमा किये गये कर का विवरण-

क्रम सं०	कर	राशि	दिनांक	चालान संख्या	बैंक का नाम
	सामान्य कर/भवन कर				

(ण) (एक) नगर निगम बैंक खाता सं०

(दो) बैंक शाखा का नाम

(तीन) भवन स्वामी का बैंक खाता सं०

(चार) बैंक शाखा का नाम जिसमें भवन स्वामी का खाता है

सम्पूर्ण विवरण हेतु नगर निगम, हरिद्वार की वेबसाइट www.nagarnigamharidwar.com देखें।

संलग्नक-

1. खतौनी, विक्रय पत्र, दान पत्र, पट्टाभिलेख, वारिसान आदि.....
 2. एच०आर०डी०ए० द्वारा स्वीकृत मानचित्र की छायाप्रति / नजरी नक्शा.....
- टिप्पणी- भरे गये प्रपत्रों की जाँच में यदि विवरण सही नहीं पाया गया तो देय कर के अन्तर का चार गुना शास्ति के रूप में आरोपित किया जायेगा।

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषित करता / करती हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है ठीक और पूर्ण है।

दिनांक.....

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम.....

पिता/पति का नाम.....

नाम.....

स्थायी पता.....

पिता-माता का नाम

पूरा पता

मो०.....

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र 'क' प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है-

- (एक) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (दो) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम.....
- (तीन) भवन / मकान / भूखण्ड सं०.....
- (चार) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- (पाँच) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी पता.....
- (छः) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता.....

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

कर निरीक्षक

कर अधीक्षक

सहायक नगर अधिकारी

मुख्य नगर अधिकारी

प्रपत्र-‘ख’ (नियम-3 देखें)

भवन के कार्पेट एरिया या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिए

(क)

- (एक) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (दो) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम.....
- (तीन) भवन / मकान / भूखण्ड सं०.....
- (चार) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- (पाँच) स्वामी / अध्यासी की अस्थाई पता.....
- (छः) स्वामी / अध्यासी का स्थाई पता.....

टिप्पणी— जिनका भवन नगर निगम में दर्ज नहीं है ‘नया मकान’ दर्ज करें तथा सम्बन्धित अभिलेख व चौहददी का विवरण संलग्न करें.....

(ख) निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा—

- (एक) समस्त कमरों एवं आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....
- (दो) समस्त बालकनी, कोरिडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....
- (तीन) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट में).....

टिप्पणी— स्नान गृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कार्पेट एरिया का भाग नहीं होगा।

- (ग) भवन का कार्पेट एरिया—(ख) (एक) + $1/2$ (ख) (दो) + $1/4$ (ख) (तीन)
- (घ) (एक) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्गफुट में).....
- (दो) भूमि का क्षेत्रफल यदि उस पर कोई भवन निर्मित ना हो (वर्गफुट में).....
- (ङ) (क) भवन अवस्थित है—
- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

- (ख) भवन के निर्माण की प्रकृति-
- (एक) पक्का भवन, आर०सी०सी० छत या आर०बी० छत सहित ☐
- (दो) अन्य पक्का भवन ☐
- (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित नहीं है ☐
- (ग) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है-
- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (दो) 12 मीटर से 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- (तीन) 12 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐
- टिप्पणी- कृपया उपर्युक्त (एक), (दो) अथवा (तीन) के कॉलम में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।
- (च) भवन या भूमि स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें-

टिप्पणी- यदि भवन एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी द्वारा अध्यासित समझा जायेगा। यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे 'खाली' उल्लिखित किया जायेगा।

(छ) भवन के निर्माण का वर्ष.....

सत्यापन

मैं एतद्वारा घोषित करता / करती हूँ कि स्वमूल्यांकन विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण हैं।

हस्ताक्षर

स्थायी पता.....

मो० नं०.....

दिनांक

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर

नाम

पिता-माता का नाम

पूरा पता.....

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र 'ख' प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है-

- (एक) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
- (दो) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम.....
- (तीन) भवन / मकान / भूखण्ड सं०.....
- (चार) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
- (पाँच) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी पता.....
- (छः) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता.....

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

कर निरीक्षक

कर अधीक्षक

सहायक नगर अधिकारी

Office Use Only

मुख्य नगर अधिकारी

कैसे करें स्वकर निर्धारण

1. भवन की आन्तरिक माप (कार्पेट एरिया) जिसकी गणना की जायेगी—
 - (क) कुल कमरों के कारपेट एरिया की सम्पूर्ण माप।
 - (ख) किचन, बालकनी, कॉरिडोर के कारपेट एरिया का $1/2$ माप (आधा)।
 - (ग) गैराज के कुल कार्पेट एरिया का $1/4$ माप (एक चौथाई)।
 - (घ) कवर्ड बरामदा के कारपेट एरिया का पूर्ण माप।
2. शौचालय, स्नानागार, सीढ़ी से आच्छादित क्षेत्र पोर्टिको का एरिया नहीं जुड़ेगा।
3. कर की गणना—

कुल कार्पेट एरिया $\times$ मासिक कार्पेट रेट $\times$ 12 माह = वार्षिक मूल्यांकन।
4. छूट की गणना—उपरोक्तानुसार प्राप्त वार्षिक मूल्यांकन पर निम्नानुसार छूट देय होगी—

स्वयं अध्यासित—(भवन निर्माण की अवधि के अनुसार)

 - (क) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 10 वर्ष की अवधि तक 25 प्रतिशत।
 - (ख) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 10 से 20 वर्ष तक 32.5 प्रतिशत।
 - (ग) अवधारित वार्षिक मूल्यांकन से 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो 40 प्रतिशत।
5. किराये पर उठाये गये आवासीय भवन के मामले में अवधारित वार्षिक मूल्यांकन में वृद्धि होगी—

किराये पर उठाये गये भवन—(भवन निर्माण की अवधि के अनुसार)

 - (क) यदि भवन 10 वर्ष तक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा।
 - (ख) यदि वह 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा।
 - (ग) यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना है तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

निर्धारित दर समस्त वार्डों के लिए सामान्य कर (गृहकर) कार्पेट एरिया दर (प्रति वर्ग फुट-प्रतिमाह) रुपये में द्वारा समस्त 30 वार्डों के लिए निर्धारित स्क्वैर फीस दर (प्रतिवर्ग फुट-प्रतिमाह) (रुपये में)

वार्ड सं०	क्षेत्र का नाम	पक्का भवन आर०सी०सी० आर०बी०				अन्य पक्का भवन				कच्चे भवन				आवासीय भूमि जिसमें भवन न बना हो	
		24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12-24 मी० चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12-24 मी० चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12-24 मी० चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क	12 मी० से कम चौड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चौड़ी सड़क

जोन-1 हरिद्वार केवल मध्य हरिद्वार क्षेत्र नगर व रेलवे लाइन के बीच

5	निर्मला छावनी (आंशिक)	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
6	ब्रह्मपुरी (आंशिक)	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
9	मायापुर	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
12	हर की पौड़ी	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
13	भीमगोडा	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
15	गऊघाट	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
16	खडखडी	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
19	भोपतवाला	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
20	ऋषिकुल	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
14	शारदा नगर	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
18	आर्यनगर	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
21	आवास विकास	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
22	गोविन्दपुरी	2.00	1.50	1.00	1.75	1.25	0.75	1.25	1.00	0.50	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

जोन-2 ज्वालापुर क्षेत्र हरिद्वार क्षेत्र रेलवे लाइन से पश्चिम समस्त क्षेत्र

1	कडच्छ	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
2	अम्बेडकर नगर	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
3	टिवड़ी	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
4	बाल्मिकी बस्ती	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
7	कोटरावान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
10	मेदानिया	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
17	शास्त्री नगर	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
23	चाकलान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
24	मेहतान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25

26	लोधामण्डी	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
27	कस्सावान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
28	पौवघोई	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
30	लक्कडहारान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25

जोन-3 कनखल क्षेत्र हाईवे/नहर के पूर्व का क्षेत्र

8	रविदास बस्ती	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
11	आचार्यान	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
25	कृष्णा नगर	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25
29	राजघाट	1.75	1.25	0.75	1.50	1.00	0.50	1.00	0.75	0.25	0.25	0.25

नोट-

1. रेंट कन्ट्रोल 1972 के अधीन आने वाले भवनों पर उत्तराखण्ड नगर निगम अधिनियम 1059 के प्राविधानानुसार करों की देयता अब किरायेदार की होगी।
2. स्वअध्यासित भवन यदि 10 वर्ष तक पुराना है तो आगणित वार्षिक मूल्यांकन से 2.5 प्रतिशत कम, 10 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम पुराने भवन पर 32.50 प्रतिशत तथा 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों पर 40 प्रतिशत कम वार्षिक निर्धारण माना जायेगा।
3. किराये पर उठाये आवासीय भवनों में यदि भवन 10 वर्ष तक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक, 10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष कम पुराना है तो 12.50 प्रतिशत अधिक तथा 20 वर्ष से अधिक पुराना हो तो उसका वार्षिक मूल्य उपधारा (1) के खण्ड ख के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।
4. स्वकर निर्धारण के निमित्त प्रपत्र (क) व (ख) में प्रत्येक करदाता को सूचना भरकर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

नगर निगम हरिद्वार

सम्पत्ति का व्यौरा (कमरे रसोई आदि)

1. स्वयं के उपयोग लाये जाने वाली सम्पत्ति तल अनुसार
 - (क) बेसमेन्ट
 - (ख) भूतल
 - (ग) प्रथम तल
 - (घ) द्वितीय तल
आदि

2. किराये पर दी गयी सम्पत्ति का विवरण व किरायेदार का नाम तथा किराये की धनराशि तल अनुसार
 - (क) बेसमेन्ट
 - (ख) भूतल
 - (ग) प्रथम तल
 - (घ) द्वितीय तल
आदि

3. आवासीय भवन में स्थित व्यवसायिक उपयोग में लाए जाने वाली सम्पत्ति का विवरण तल अनुसार
 - (क) बेसमेन्ट
 - (ख) भूतल
 - (ग) प्रथम तल
 - (घ) द्वितीय तल
आदि

नोट-क्रम सं० 3 पर दिये गये विवरण का मूल्यांकन कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

कार्यालय नगर निगम हरिद्वार
रसीद

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
 - (2) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम.....
 - (3) भवन / मकान / भूखण्ड सं०.....
 - (4) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
 - (5) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी पता.....
 - (6) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता.....
- भवन सं०.....का स्वकर प्रपत्र 'क' 'ख' भवन स्वामी / अध्यासी.....के द्वारा भवन का क्षेत्रफल / कार्पेट.....में स्थित है प्रस्तुत किया गया जो वार्ड सं०.....मौहल्ला.....के स्वकर प्राप्ति रजिस्टर में क्रमांक.....पर दर्ज है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय नगर निगम हरिद्वार
रसीद

- (1) स्वामी / अध्यासी का नाम.....
 - (2) स्वामी / अध्यासी के पिता का नाम.....
 - (3) भवन / मकान / भूखण्ड सं०.....
 - (4) भवन / भूखण्ड की अवस्थिति का पता.....
 - (5) स्वामी / अध्यासी का अस्थायी पता.....
 - (6) स्वामी / अध्यासी का स्थायी पता.....
- भवन सं०.....का स्वकर प्रपत्र 'क' 'ख' भवन स्वामी / अध्यासी.....के द्वारा भवन का क्षेत्रफल / कार्पेट.....में स्थित है प्रस्तुत किया गया जो वार्ड सं०.....मौहल्ला.....के स्वकर प्राप्ति रजिस्टर में क्रमांक.....पर दर्ज है।

दिनांक.....

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....